न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर कैम्प रीवा (म०प्र०)

473
13.8.14

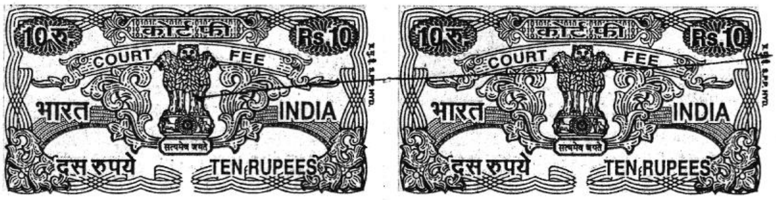

Rs. 201

R. 2681-III/14

भोलई यादव तनय रामावतार यादव उम्र- 60 साल निवासी ग्राम अमहा बासुदेव तहसील- हनुमना जिला-रीवा (म०प्र०) ===== आवेदक

बनाम

(1) नीतेश्वर गुप्ता तनय शिवदास गुप्ता निवासी ग्राम हनुमना तहसील हनुमना जिलारीवा म०प्र०

(2) शासन म०प्र० ==== अनावेदक

श्री ... द्वारा आज दिनांक 13.8.14 को प्रस्तुत किया गया। रीडर 13-8-14

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार तहसील हनुमना जिलारीवा म०प्र० प्रकरण क्रमांक 16ए-3/07-08 आदेश दिनांक 19/6/14

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म०प्र० भू० रा० संहिता 1959 ई०.

मान्यवर,

<u>निगरानी के संक्षिप्त तथ्य-</u>

(1) यहकि अनावेदक क्रमांक- 1 द्वारा भूमि नम्बर 505 एवं 506 स्थित ग्राम अमहा बासुदेव तहसील हनुमना जिलारीवा(म०प्र०) की भूमि राजस्व निरीक्षक से मिलकर नक्शा में रकबा संशोधन करवा लिया था जिसका प्रकरण क्रमांक 12अ-12/08-09 आदेश दिनांक- 24/9/09 है। उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर रीवा के प्रकरण क्रमांक 165अ-12/नि./08-09 प्रस्तुत की गयी ,अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 9/3/12 को उक्त आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार के यहां रिमाण्ड किया गया। तहसीलदार द्वारा दिनांक 15/10/13 को राजस्व निरीक्षक तरमीम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए आदेश पारित किया। राजस्व निरीक्षक द्वारा दोनों पक्षों की उपस्थिति में तरमीम

क्रमशः2../पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग -2681–तीन–.2014 **जिला रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश भोलईयादव / नीलेश्वर गुप्ता	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–02–2016	यह निगरानी तहसीलदार तहसील हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक 16 / अ–3 / 07–08 में पारित आदेश दिनांक 19.06.2014 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री शम्भूनाथ शुक्ला उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राहयता पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के आधार पर निगरानी ग्राहय करने का निवेदन किया गया। आवेदक अधिवक्ता के निवेदन के अनुकम में निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया एवं उन पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो के संलग्न आक्षेपित आदेश का भी अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि तहसील न्यायालय में प्रकरण नक्शा तरमीम की कार्यवाही हेतु अपर कलेक्टर रीवा के न्यायालय से प्रत्यावर्तित होकर विचाराधीन है जिसमें नक्शा तरमीम हेतु राजस्व निरीक्षक से तरमीम प्रस्ताव चाहा गया था जो राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 10.02.14 को तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे तहसीलदार द्वारा विधिअनुकूल न मानते हुए निरस्त कर पुनः नक्शा तरमीम का प्रस्ताव उभयपक्ष की एवं समस्त भू–खण्डधारियों को व्यक्तिगत सूचना पत्र जारी कर उनकी उपस्थिति में तैयार कर पस्तुत करने हेतु राजस्व निरीक्षक को अपने आदेश दिनांक 19.6.14 से निर्देश दिए गये है। जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत कर तहसीलदार के उक्त आदेश को	

R 2681 III/14

प्रकरण कमांक निग -2681-तीन-.2014 **जिला रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश भोलईयादव / नीलेश्ंवर गुप्ता	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	निरस्त करने का निवेदन किया गया। चूंकि प्रकरण में तहसीलदार द्वारा नक्शा तरमीम का प्रस्ताव पुनः विधिवत समस्त पक्षकारों एवं हितबद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति में तैयार कर प्रस्तुत करने का आदेश जो दिया गया है उससे किसी भी पक्ष के हित वर्तमान में अनुचित रूप से प्रभावित होने की कोई संभावना परिलक्षित नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः तहसीलदार का आक्षेपित आदेश दिनांक19.6.14 यथावत रखा जाता है तथा तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व निरीक्षक से शीध्र नक्शा तरमीम प्रस्ताव प्रतिवेदन प्राप्त किया जावे तथा उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वे भी नक्शा तरमीम के प्रतिवेदन प्रस्ताव को तैयार करने में स्वयं संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर सहयोग करें। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि.हो। 10.2.16 **(आशीष श्रीवास्तव)** **सदस्य**	